

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक : नर्सिंग / फार्मासिस्ट / एसीपी / 18397 / 2025 /

दिनांक

—:आदेश:—

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक: एफ 15(1) एफडी/नियम/2017 दिनांक 30.12.2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 14(88)एफडी/नियम/2008 दिनांक 18.12.2020 एवं वित्त विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ.15(1)वित्त/नियम/2017 पार्ट दिनांक 06.10.2023 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित कार्मिकों के 09 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एमएसीपी/एसीपी/पे-मैट्रिक्स लेवल में स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती/ सुश्री)	पद	पदस्थान जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	देय एमएसीपी / एसीपी की दिनांक	देय पे बैंड एमएसीपी/पे - मैट्रिक्स लेवल प्राप्त/प्राप्त पे-बैंड	देय ग्रेड-पे / पे- मैट्रिक्स लेवल
1.	अविनाश नारवाल	फार्मासिस्ट	कोटपूतली	04.03.2015	04.03.2024	L-10	L-11

दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान नहीं होने की शर्त पर ही उक्त एसीपी मान्य होगी। यदि किसी कर्मचारी के प्रकरण में तीसरी संतान की इस शर्त का उल्लंघन पाया गया तो उसके संबंध में यह आदेश प्रारम्भ से ही शून्य होगा।

उक्त कार्मिकों का वेतन नियतन संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जायेगा।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

दिनांक 07-01-2025

क्रमांक : नर्सिंग / फार्मासिस्ट / एसीपी / 18397 / 2025 / 05

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन।
2. संबंधित प्रशासनिक/नियंत्रण अधिकारी।
3. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Kumar
Sharma

Designation: Director

Date: 2025.01.04 11:45:30 IST

Reason: Approved

पता:- स्वास्थ्य भवन, सी-स्कीम, जयपुर

(फोन न - 141-2222683 ई मेल-add4ng@gmail.com)

